29

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 3241–तीन/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 30–07–12 पारित नायब तहसीलदार, मण्डल ईशानगर, तहसील व जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 04/अ–3/2011–12.

1– कुन्दी पिता हल्कैया अहिरवार
2– मोहन उर्फ मुन्नीलाल पिता हल्कैया अहिरवार
3– भग्गू उर्फ भगवानदास पिता हल्कैया अहिरवार
समस्त नि0 रनगुंवा, तह0 व जिला
छतरपुर, म0प्र0

—— आवेदक

विरूध्द

दयाल पिता मढुआ अहिरवार
नि0 रनगुंवा, तह0 व जिला
छतरपुर, म0प्र0

—— अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री के0के0 द्विवेदी., अभिभाषक– अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 25. 8. ,2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार, मण्डल ईशानगर, तहसील व जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक

04/अ–3/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 30–07–12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक दयाल व्दारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नं0 1375/क/1 रकबा 1.500 हे. के सीमांकन/तरमीम हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार व्दारा प्रकरण पंजीबध्द कर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन/तरमीम हेतु पत्र जारी करने के आदेश दिये। राजस्व निरीक्षक व्दारा सरहदी कृषकों को सूचना जारी कर प्रश्नाधीन भूमि का दिनांक 30–06–12 को हल्का पटवारी के साथ सीमांकन कर नक्शे में पेन्सिल से तरमीम की गयी। राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन/तरमीम प्रतिवेदन पंचनामा, नक्शा टेस, फील्ड बुक तथा सूचनापत्र के साथ नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने से नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 30–07–2012 व्दारा प्रश्नाधीन भूमि की पेन्सिल तरमीम को लाल स्याही से मूल नक्शे में पुख्ता करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा समयावधि के बिन्दू पर प्रस्तुत तर्को पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि सीमांकन एवं नक्शा तरमीम कार्यवाही करने के पूर्व आवेदकगण को सूचना नहीं दी गयी। आवेदकगण को नायब तहसीलदार के आदेश की जानकारी अनावेदक व्दारा धारा 250 के दावे की प्रति प्राप्त होने पर हुई। तब आवेदकगण ने अभिभाषक के मार्फत तहसील में सीमांकन की जानकारी लेकर दिनांक 6–6–13 को नकल हेतु आवेदन दिया जो अभिभाषक व्दारा दिनांक 19–6–13 को प्राप्त की। तब आवेदकगण ने दिनांक 7–8–13 को अभिभाषक

से सम्पर्क किया, तब उसने बताया कि नकल तैयार रखी है। अभिभाषक फीस एवं खर्चे की व्यवस्था के बाद 25–8–13 को ग्वालियर आकर अभिभाषक से सम्पर्क कर कागजात सौपे। तत्पश्चात दिनांक 26–8–13 को निगरानी प्रस्तुत की है। उनका तर्क है कि विलम्ब सदभाविक है तथा तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं होने से विलम्ब हुआ है। अतः उन्होंने विलम्ब को माफ कर निगरानी समयावधि में मान्य करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदकगण को सीमांकन/तरमीम की जानकारी शुरू से थी। सीमांकन/तरमीम के पूर्व राजस्व निरीक्षक व्दारा सूचना जारी की गयी थी। उनका तर्क है कि दिनांक 19–6–13 को नकल प्राप्त हो जाने के बाद भी 2 माह 7 दिन बाद निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है और विलम्ब का कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन के साथ शपथपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उन्होंने निगरानी समयावधि बाह्य होने से खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ आवेदकगण ने नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 30–07–12 के विरूध्द राजस्व मण्डल में दिनांक 26–08–13 को निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यह निगरानी लगभग 13 माह बाद प्रस्तुत की गयी है, जबकि राजस्व मण्डल में निगरानी 60 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाना चाहिये थी। आवेदकगण व्दारा सीमांकन आदेश की जानकारी का श्रोत धारा 250 के दावे प्रति प्राप्त होना पर बताया है, किन्तु दावे की प्रति आवेदकगण को किस दिनांक को प्राप्त हुई, इसका उल्लेख अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में नहीं किया गया और ना ही अपने कथन के समर्थन में धारा 250 के विचाराधीन प्रकरण का कमांक या आदेश पत्रिका की छाया प्रति प्रस्तुत की

गयी है। आवेदकगण ने अपने कथन के समर्थन में शपथपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी दशा में आवेदकगण का कथन प्रमाण के अभाव में मान्य योग्य नहीं है। आवेदकगण व्दारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की नकल 19–06–13 को अभिभाषक व्दारा प्राप्त करना अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में दर्शाया है। आदेश की नकल 19–06–13 को प्राप्त होने पर निगरानी राजस्व मण्डल में दिनांक 26–8–13 को प्रस्तुत की गयी है और इन 2 माह 6 दिन के विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। विलम्ब को न्यायाहित में तभी माफ किया जा सकता है जब प्रत्येक दिन का समुचित स्पष्टीकरण प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाय। पी.के.रामचन्द्रन विरूध्द केरला राज्य तथा अन्य (ए आई आर 1998 एस सी 2276) में मान. उच्चतम न्यायालय व्दारा यह व्यवस्था दी है कि संतोषजनक स्पष्टीकरण के बिना विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता। भागचन्द वि. गिरधारीलाल यादव (2013 :एकः एम पी एल जे पृष्ठ 643) में मान. उच्च न्यायालय व्दारा यह व्यवस्था दी है कि –

"धारा 5 विलम्ब की माफी– न्यायिक शक्ति का वैवेकिक अधिकार का प्रयोग विधि के अनुसार ज्ञात युक्तियुक्त सीमाओं में किया जाना चाहिये– झूठा आधार धारा 5 के कार्यक्षेत्र एवं व्याप्ति के भीतर पर्याप्त कारण कभी नहीं हो सकता।"

जिला सहकारी केंन्द्रीय बैंक मर्या. रीवा वि. काशीनाथ शर्मा (1993 रा. नि. 73) में भी राजस्व मण्डल व्दारा यह व्यवस्था दी गयी है कि प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया– विलम्ब माफी हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। लंगरी तथा अन्य वि. छोटा तथा अन्य (1992 रा.नि. 289) में मान. उच्च न्यायालय व्दारा यह व्यवस्था दी है कि –

"धारा 5 व्याप्ति– अधिकारिता की प्रकृति – वैवेकिक है– पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नही है– पर्याप्त कारण का

सबूत– अधिनियम की धारा 5 व्दारा न्यायालय में निहित वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है– न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि व्दारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता।''

म0प्र0 राज्य वि. शान्तीबाई (1989 :एकः एम पी वीकली नोट, नोट नं0 211) में भी मान. उच्च न्यायालय व्दारा यही व्यवस्था दी है कि विलम्ब का पर्याप्त कारण नहीं दर्शाने पर विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में विलम्ब माफी का पर्याप्त आधार नहीं होने से आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत निगरानी समयावधि बाह्य होने से सुनवायी योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी समयावधि होने से खारिज की जाती है। नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 30–07–12 यथावत्त रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0